उत्तर प्रदेश शासन

पर्यटन अनुभाग

संख्या-251/2020/4097/41-2020-185(बजट)/2019

लखनऊ दिनांक 03 नवम्बर, 2020

संख्या- 247/2020/3955/41-2020-185(बजट)/2019 दिनांक 27 अक्टूबर, 2020

का शुद्धि पत्र

जनपद कन्नौज तिर्वा के अन्नपूर्णा मंदिर परिसर में पंचवटी मंदिर के सौन्दर्यीकरण एवं पर्यटन विकास कार्य हेतु अवशेष वित्तीय स्वीकृति विषयक शासनादेश संख्या- 247/2020/3955/41-2020-185(बजट)/2019 दिनांक 27अक्टूबर, 2020 के संदर्भ में महानिदेशक, पर्यटन के पत्रांक- 3560/6-1-1(1102)/2019 दिनांक 29-10-2020 द्वारा यह अवगत कराया गया है कि उक्त शासनादेश दिनांक 27-10-2020 के प्रस्तर-3(1) **में त्रुटिवश** शासनादेश सं0-101/ 2020/2922/41-2019-185 (बजट)/2019 दिनांक 11 मार्च 2020 के स्थान पर शासनादेश संख्या-196/2018/ 2911(2)/41-2018-15(बजट)/2018 दिनांक 31 दिसम्बर 2018 एवं शासनादेश सं0-170/20201153/41-2020-15(बजट)/2018 दिनांक 07 अगस्त 2020 अंकित हो गया है।

2. अतः एतद्द्वारा उक्त त्रुटि का निराकरण करते हुये शासनादेश संख्या- 247/2020/3955/41-2020-185(बजट) /2019 दिनांक 27अक्टूबर, 2020 के प्रस्तर-3(1) में *शासनादेश संख्या-196/2018/ 2911(2)/41-2018-15(बजट)/2018 दिनांक 31 दिसम्बर 2018 एवं शासनादेश सं0-170/20201153/41-2020-15(बजट)/2018 दिनांक 07 अगस्त 2020* **को विलोपित करते हुये शासनादेश सं0-101/ 2020/2922/41-2019-185(बजट)/2019 दिनांक 11 मार्च 2020** अंकित किया जाता है। तद्नुसार उक्त शासनादेश दिनांक 27 अक्टूबर 2020 उक्त सीमा तक संशोधित किया जाता है। शासनादेश में अंकित अन्य शर्ते एवं उपबन्ध यथावत रहेंगे।

(शिव पाल सिंह)
विशेष सचिव।

संख्या-251/2020/4097/41-2020-185(बजट)/2019 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2- महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3- जिलाधिकारी, कन्नौज।
4- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
5- वित्त नियंत्रक, पर्यटन निदेशालय, लखनऊ।
6- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7
7- संयुक्त निदेशक, पर्यटन निदेशालय, लखनऊ।
8- प्रबन्ध निदेशक, यूपीसिडको लखनऊ।
9- अधिशाषी अभियन्ता, यूपीसिडको, कन्नौज।
10- क्षेत्रीय पर्यटक अधिकारी , लखनऊ।
11- वेब अधिकारी, पर्यटन विभाग।
12- गार्ड-फाइल।

आज्ञा से,

(गिरिजापति द्विवेदी)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.nic.in